न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–एल.आर. 239/2007
पंजीयन दिनांक 16.10.2007

(1). प्यारी बाई पत्नी भगवानलाल जाति कुमावत निवासी बिलोट तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़। (मृतक)–नाम तर्क किया गया।
(2). जगदीश लाल पिता भगवानलाल जाति कुमावत निवासी बिलोट तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांटगण

बनाम

(1). नारायण लाल पिता तोलीराम जाति सुथार निवासी फलासिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(2). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी कुआं नियमन प्रकरण निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.04.2007

उपस्थित वक्त बहस–(1). मनोहरलाल दक –अधिवक्ता अपीलांट
(2). छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक 28.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र बाबत कुआं आवंटन नियमन का मय दस्तावेज प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ प्राधिकृत ने तहसीलदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने पटवारी हल्का फलोदड़ा से दिनांक 08.04.2007 को रिपोर्ट तैयार करा अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमे अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त कुएं पर कब्जा होकर उक्त कुआ उसकी आराजीयात से लगा हुआ है व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी अपनी आराजीयात की उक्त कुएं से सिंचाई करता चला आ रहा है जिस पर अधीनस्थ प्राधिकृत आधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के नाम कुआं आवंटन किए जाने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.04.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण ने भगवानलाल के वारिसान होना बताते हुए इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की व अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलांट की ओर से इस न्यायालय मे अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण के सम्मन नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी का रेकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुआं आवंटन नियमन किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मौका रिपोर्ट ली जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर अपीलांट को सुने बगैर अपीलांट के पति व पिता भगवानलाल के नाम जारी कुआं आवंटन आदेश को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के नाम कुआं आवंटन नियमन का आदेश पारित किया है जो अपीलांट व अपीलांट के पिता आवंटी भगवानलाल को सुने बगैर पारित किया गया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की अपीलांट को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत है। अपीलांट अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय मे पक्षकार नहीं होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत है व अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनको रेकॉर्ड पर लिया जाकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट के पिता भगवानलाल ने उक्त चाह से सिंचित होने वाली भूमि आराजी संख्या 314/1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी पत्नी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है व उसी दिनांक को कृषि आराजीयात के साथ कुआं भी जरिये विक्रय अनुबंध विक्रय कर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कर दिया है तभी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त कुएं से अपने खातेदारी की आराजीयात को सिंचित करता चला आ रहा है। विक्रय के पश्चात उक्त चाह पर अपीलांट के पिता व अपीलांट का कभी कब्जा नहीं रहा है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कुआं नियमन व आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से जांच रिपोर्ट ली जाकर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के पक्ष मे आवंटन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित आवंटन आदेश विधि सम्मत होना बताकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत कुआं आवंटन नियमन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट सख्या 2 से मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की , कि आवंटी भगवानलाल कुमावत ने उक्त कुएं से जो आराजीयात सिंचित होती है, उक्त आराजी मय चाह आराजी नम्बर 882/314 रकबा 3 बिस्वा केता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी को विक्रय कर दी है व इसी के साथ उक्त आवंटित कुए को भी विक्रय कर दिया है। जिससे आवंटी भगवानलाल ने आवंटन विबन्धनों व शर्तो का उल्लंघन किया है व वर्तमान मे आवंटी भगवानलाल की उक्त कुएं से कोई आराजी सिंचित नहीं होकर केता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी उक्त कुए से सिंचित होती है ऐसी स्थिति मे आवंटी भगवानलाल का आंवटन निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कुआं आवंटन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन के साथ परिवाद की फोटो प्रति, गुमशुदा इतिला की फोटो प्रति व भगवानदास के नाम अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा वर्ष 2007 मे जारी विद्युत बिल व प्यार कोर पत्नी भगवानदास के नाम जारी पारिवारिक पेंशन की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है। आवेदन के समर्थन मे अपीलांट ने न तो शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है और न ही असल व प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने कुआं आवंटन आदेश भगवानलाल के नाम मिसल संख्या 49/98 दिनांक 23.06.1998 पारित किया है व जिस प्रयोजनार्थ आवंटन आदेश पारित किया गया है , आवंटी भगवान लाल ने उक्त प्रयोजन के संबंध मे आवंटन शर्तो व विबन्धनों के विपरीत जाकर जो कृषि आराजियात सिंचित हो रही है उक्त आराजियात को जरिये पंजीकृत बहनामा से रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व श्रीमती रामीबाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री नारायण लाल सुथार निवासी फलासिया को विक्रय कर दी है व उसके साथ उक्त कुए को भी गैर खातेदारी मे होने से उसी दिनांक को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र विक्रय कर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। साथ ही उक्त आ0 चाह का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी पत्नी अपनी खरीदशुदा आराजीयात की सिंचाई खरीद दिनांक से करती चली आ रही है जिससे अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित कुआं आवंटन आदेश विधि सम्मत है । कुआ आवंटन आदेश भगवानलाल के नाम पारित किया गया था व भगवानलाल ने अपने खातेदारी की आरजीयात व कुआं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी पत्नी रामी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था । अपीलांट ने भगवानलाल के होते हुए भगवानलाल को पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर अपील प्रस्तुत की है , अपीलांट उक्त विक्रय व कुआं आवंटन आदेश से प्रभावित नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं है साथ ही अपीलांट की ओर से इस न्यायालय मे जो अपील प्रस्तुत की गई हे वह म्याद बाहर है। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमे वर्णित तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है व गुणावगुण के आधार पर भी प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा परित आदेश यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी प्रकरण संख्या 30/2007 कुआं आवंटन नियमन निर्णय व आदेश दिनांक 27.04.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)